सख्या- I/1208781/2026 /नौ-2-2026-ई-1838727

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक19-01-2026

विषय:- अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत क्षमता निर्माण आई०ई०सी० तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) हेतु धनराशि आंवटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8/751/अर्बन फ्लड/2024-25, दिनांक-29.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर विकास विभाग की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2215-02-191-03-00-35 अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ के सापेक्ष क्षमता निर्माण, आई०ई०सी० तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) हेतु रू0: 03.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर विकास विभाग की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 1000.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 894.61 करोड़ में से क्षमता निर्माण, आई०ई०सी० तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) हेतु धनराशि रू० 03.00 करोड़ (रू० तीन करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एक मुश्त व्यवस्था के तहत सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने की कतिपय शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही नियमानुसार ही व्यय की जायेगी।
2. कार्यों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ का होगा।
3. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री / उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा

वित्त विभाग को दी जाय।

7. अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1718/नौ-2-2024-01(एस०डब्ल्यू०डी०)/2024, दिनांक-20.12.2024 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं उक्त योजनान्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 की शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021910300 अर्बन फ्लड / जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 19-01-2026
12:14:26

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी),
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) समस्त महापौर, नगर निगम, उ0प्र0।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(7) निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(9) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) निदेशक,क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,लखनऊ।
(12) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(13) वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
(14) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार तिवारी),
अनु सचिव।